[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 1 / 2018 - एकीकृत कर

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2018

सा.का.नि.....(अ) केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इस अधिसूचना के पश्चात् आईजीएसटी अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1261 (अ) तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं.11/2017,एकीकृत कर तारीख 13 अक्तूबर, 2017 में परिषद् की संस्तुति पर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में शब्दों और अंकों "नियम 96 के सिवाय" के स्थान पर "नियम 96 के उपनियम (1) से उपनियम (8) और उपनियम (10) के सिवाय" अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा.सं.349/58/2017-जीएसटी(पीटी.)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) संख्या सा.का.नि. 1261(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा संख्या 11/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 को प्रकाशित की गई थी ।